संवाददाता पटना

पटना : दिल्ली, मुंबई व कोलकाता के तर्ज पर नगर निगम में विज्ञापन नीति बनाने की योजना है. निगम प्रशासन इन महानगरों की विज्ञापन नीति का अध्ययन करना कर रहा है. संभावना है कि एक से दो माह में नयी विज्ञापन नीति का प्रारूप तैयार हो जायेगा. स्थायी समिति से पारित होने क बाद इसे लागू कर दिया जाये.

बढायी जायेगी विज्ञापन दर

नयी विज्ञापन नीति में दर बढाये जाने की संभावना है. यह विज्ञापन होर्डिंग दर महानगरों के तर्ज पर तय की जायेगी. इसकी वजह है कि पिछले कई वर्षों से विज्ञापन होर्डिंग लगाने की दर में बढा तरी नहीं हुई है. साथ ही विज्ञापन एजेंसियां मनमाफिक विज्ञापन होर्डिंग व पोस्टर लगाती हैं. इन पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

हटेगी पुरानी होर्डिंग

निगम प्रशासन ने अवैध तरीके से लगी विज्ञापन होर्डिंग हटा कर नयी नीति के अनुसार विज्ञापन हा र्डिंग लगाने की अनुमति देगा. हालांकि कई विज्ञापन एजेंसियों ने कोर्ट में निगम के विरुद्ध केस किया है. इस मामले में निगम प्रशासन कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है. इसके बावजूद निगम क्षेत्र में अवैध तरीके से लगायी गयी विज्ञापन होर्डिंग की सूची तैयार की जा रही है. साथ ही एक होर्डिंग की स्वीकृति पर तीन-चार विज्ञापन होर्डिंग लगानेवाली विज्ञापन एजेंसियों की सूची तैयार की जा रही है. नगर निगम के मुख्य अभियंता राम स्वार्थ सिंह ने बताया कि नयी विज्ञापन नीति बनाने के लिए महानगरों की विज्ञापन नीति का अध्ययन किया जा रहा है. डाफ्ट बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है. इसका प्रारूप शीघ्र तैयार कर स्थायी समिति के समक्ष रखा जायेगा.

बिना पैसे के काम नहीं

निगम क्षेत्र के नौ वार्डों व नौ प्रमुख सडकों से कूडे का उठाव कर रही ए-टू-जेड अब बिना पैसे के काम करने के मूड में नहीं है. डेढ वर्षों में उसे एक रुपया का भी भुगतान नहीं किया गया है.

प्रधान सचिव से मुलाकात आज

काम बंद करने के कंपनी के अल्टीमेटम के बाद 15 दिन पहले निगम स्थायी समिति की विशेष ब ठक बुलायी गयी थी. निर्णय लिया गया था कि 75 फीसदी बकाया का भुगतान दस दिनों के भीतर कर दिया जायेगा. इसके बाद कंपनी ने कूडा उठाने का काम शुरू किया. निर्णय के भी 14 दिन बीत गये, लेकिन अब तक बकाया का भुगतान नहीं हुआ. कंपनी के स्थानीय प्रबंधक विकास झा मंगलवार को नगर व आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव से मिलेंगे. इसके बाद हडताल पर जाने का फैसला लेंगे. श्री झा ने बताया कि डेढ वर्षों से एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है.

सात करोड से अधिक बकाया

गौरतलब है कि ए-टू-जेड ने 16 दिसंबर, 2009 से कूडा उठाव का काम शुरू किया. 15 दिन प्रयाग के तौर पर काम किया. एक जनवरी, 2010 से 728 रुपये प्रति मीटरिक टन के हिसाब से कूड का उठाव कर रही है. इन डेढ वर्षों में निगम पर सात करोड रुपये से अधिक का बकाया हो गया है.

नाले को ढंक कर बनेगी सडक

कदमकुआं स्थित सैदपुर नाले को ढंक कर सडक बनायी जायेगी. इसके लिए पथ निर्माण विभाग प्राक्कलन तैयार कर रहा है. नाले की लंबाई 6,600 फुट है. उसे ढंक कर दोनों ओर से 30-30 फुट चौडी सडक का निर्माण करना है. सर्वे पूरा हो गया है. नगर विकास विभाग व पथ निर्माण विभाग के बीच करार भी हो चुका है. पिछले दिन पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत व नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने वहां का दौरा भी किया था. नाले को ढंक कर सैदपुर स संदलपुर को जोडा जायेगा. नाले के दक्षिणी किनारे पर कई लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया है. कई खटाल हैं. नाला खुला होने के कारण लोग उसमें कचरा व गोबर डाल देते हैं.

योजना नहीं हुई पूरी

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत पटना के बजरंग कॉलोनी में ली गयी दो योजनाएं अब भी पूरी नहीं हुई हैं. 50-50 लाख की सडक व नाला निर्माण की योजना 2009-10 में ली गयी थी. आम लोगों ने इसकी डीएम के पास शिकायत भी की थी. एनआरइपी की ओर से जांच करायी गयी, जिसमें यह सही पाया गया. अब काम करनेवाली एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मुख्यमंत्री नगर विकास की एक दर्जन से अधिक योजनाएं ऐसी हैं, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं. डीएम संजय कुमार सिंह ने इसे तेजी से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा है कि समय पर काम पूरी नहीं करनेवाली एजेंसियों पर कार्रवाई की जायेगी. उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी किया जायेगा.